प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867[1]

(1867 का अधिनियम संख्यांक 25)

[22 मार्च, 1867]

मुद्रणालयों तथा समाचारपत्रों के विनियमन के लिए, [2][भारत] में मुद्रित पुस्तकों [3][तथा समाचारपत्रों] की प्रतियों के परिरक्षण तथा ऐसी पुस्तकों [3][तथा समाचारपत्रों] के रजिस्ट्रीकरण के लिए

अधिनियम

उद्देशिका—मुद्रणालयों तथा [4][समाचारपत्रों] के विनियमन के लिए, [5][भारत में मुद्रित प्रत्येक पुस्तक तथा समाचारपत्र] की [6]*** प्रतियों के परिरक्षण के लिए [5][तथा ऐसी पुस्तकों तथा समाचारपत्रों के रजिस्ट्रीकरण के लिए] उपबन्ध करना समीचीन है; अत: इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

---

[1] संक्षिप्त नाम भारतीय संक्षिप्न नाम अधिनियम, 1897 (1897 का 14) द्वारा दिया गया।

उद्देश्यों और कारणों का कथन के लिए, देखिए—भारत का राजपत्र, 1867, पृ० 191; और काउन्सिल में कार्यवाहियों के लिए, देखिए—भारत का राजपत्र, 1867 सप्लीमेंट, पृ० 72, 156 और 299।

इस अधिनियम को विधि स्थानीय विस्तार अधिनियम, 1874 (1874 का 15) की धारा 3 द्वारा अनुसूचित जिलों को छोड़कर, भारत के सभी प्रान्तों में प्रवृत्त घोषित किया गया।

इसको, संथाल परगना व्यवस्थापन विनियम, 1872 (1872 का 3) की धारा 3 द्वारा संथाल परगना पर; खोण्डमाल्स विधि विनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा खोण्डमाल्स जिले पर; और आंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का 5) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा आंगुल जिले पर, लागू किया गया।

इसको, 1962 के विनियम 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा उपान्तरों सहित गोवा, दमन और दीव पर; 1963 के विनियम 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर और 1963 के विनियम 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (1-10-1963 से) पांडिचेरी पर, विस्तारित किया गया।

इसे शेड्यूल्ड्स डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट, 1874 (1874 का 14) की धारा 3(क) के अधीन अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अनुसूचित जिलों पर लागू किया गया है, अर्थात् :—

पींट का राज्यक्षेत्र, देखिए—भारत का राजपत्र, 1887, भाग 1, पृ० 144 (पींट अब अनुसूचित जिला नहीं रहा और मुम्बई प्रेसिडेंसी के नासिक जिले में प्रभावी सभी अधिनियमितियां, जिनमें से 1867 का अधिनियम सं० 25 है, इस राज्यक्षेत्र में अब प्रभावी हैं) देखिए—पींट विधि अधिनियम, 1894 (1894 का मुम्बई अधिनियम 2)।

पेरिम द्वीप, देखिए—भारत का राजपत्र, 1887, भाग 1, पृ० 5;

जलपाईगुड़ी जिले का वह भाग जो पहले जलपाईगुड़ी उपमंडल था और अब जलपाईगुड़ी जिले का पश्चिमी भाग है तथा पूर्व में तिस्ता नदी, दार्जिलिंग जिले में तिस्ता नदी की पश्चिमी पहाड़ियां, दार्जिलिंग तराई, दार्जिलिंग जिले के डामसन उपमंडल तक विस्तारित है, हजारीबाग, लोहारडागा (जो अब रांची जिला कहलाता है, देखिए- कलकत्ता राजपत्र, 1899, भाग 1, पृ० 44) और मानभूम जिले और सिंहभूम जिले में डालभूम तथा कोल्हन, परगना देखिए, भारत का राजपत्र, 1881, भाग 1, पृ० 74 और 704; जलपाईगुड़ी जिले का पश्चिमी दुआर्स, देखिए, भारत का राजपत्र, 1910, भाग 1, पृ० 1160;

कुमाऊं और गढ़वाल जिले, देखिए—भारत का राजपत्र, 1876, भाग 1, पृ० 605,

मिर्जापुर जिले का अनुसूचित भाग, देखिए—भारत का राजपत्र, 1879, भाग 1, पृ० 383,

देहरादून जिले में जौनसार बाबर परगना, देखिए—भारत का राजपत्र, 1897, भाग 1, पृ० 382,

कामरूप, नौगांव, दारांग, सिबसागर, लखीमपुर, गोलपाड़ा (पूर्वी दुआर्स को छोड़कर) और काछार (उत्तरी काछार पहाड़ियों को छोड़कर) जिले, देखिए—भारत का राजपत्र, 1878, भाग 1, पृ० 533,

गारो पहाड़ियां, खासी और जयन्तिया पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, काछार जिले में उत्तरी काछार पहाड़ियों और गोलपाड़ा जिले में पूर्वी दुआर्स, देखिए—भारत का राजपत्र, 1897, भाग 1, पृ० 299।

इसे शेड्यूल्ड्स डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट, 1874 (1874 का 14) की धारा 3(ख) के अधीन अधिसूचना द्वारा पंजाब में लाहौल के अनुसूचित जिले में अप्रभावी घोषित किया गया, देखिए—भारत का राजपत्र, 1886, भाग 1, पृ० 301 ।

इसका विस्तार शेडयूल्ड्स डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट, 1874 (1874 का 14) की धारा 5 के अधीन अधिसूचना द्वारा, आगरा प्रान्त के तराई जिले पर, देखिए—भारत का राजपत्र, 1876, भाग 1, पृ० 506, कुर्ग जिले पर, देखिए—भारत का राजपत्र, 1918, भाग 2, पृ० 1730, किया गया।

इसका विस्तार बरार विधि अधिनियम, 1941 (1941 का 4) द्वारा बरार पर भी किया गया।

इसको, निम्नलिखित पर लागू करने के लिए :—आन्ध्र पर 1960 के आंध्र अधिनियम सं० 8 द्वारा, मद्रास पर 1948 के मद्रास अधिनियम सं० 24 और 1960 के मद्रास अधिनियम सं० 14 द्वारा, पंजाब पर, 1942 के पंजाब अधिनियम सं० 14, 1950 के पंजाब अधिनियम सं० 25 और 1957 के पंजाब अधिनियम सं० 15 द्वारा,

मैसूर पर, 1972 के मैसूर अधिनियम सं० 10 द्वारा; और हिमाचल प्रदेश पर, 1974 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 17 द्वारा, संशोधित किया गया।

[2] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग ख राज्यों को छोड़कर सम्पूर्ण भारत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 2 द्वारा (1-7-1956 से) अन्त:स्थापित।

[4] 1950 के अधिनियम सं० 35 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "समाचारों से युक्त नियतकालिक पत्रिकाएं" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[5] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 3 द्वारा "भारत में मुद्रित या लिथोग्राफ की गई प्रत्येक पुस्तक और ऐसी पुस्तकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए" के स्थान पर (1-7-1956 से) प्रतिस्थापित।

[6] 1890 के अधिनियम सं० 10 द्वारा "तीन" शब्द का लोप किया गया।

भाग 1

प्रारंभिक

1. निर्वचन खण्ड—[1][(1)] इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

"पुस्तक" के अन्तर्गत किसी भी भाषा में प्रत्येक जिल्द, जिल्द का भाग या खण्ड और पुस्तिका और पृथक् रूप से मुद्रित [2]*** मानचित्र, चार्ट, रेखांकन या स्वर लिपि पत्र है;

[3]* * * * * * *

[4]["सम्पादक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस सामग्री के चयन पर नियंत्रण रखता है, जो किसी समाचारपत्र में प्रकाशित की जाती है;]

[5]* * * * * * *

"मजिस्ट्रेट" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो [6]मजिस्ट्रेट की पूरी शक्तियों का प्रयोग करता है और इसके अन्तर्गत [7]"पुलिस मजिस्ट्रेट" [8]*** भी है;

[9]["समाचारपत्र" से कोई मुद्रित कालिक कृति अभिप्रेत है जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचारों की समीक्षा अन्तर्विष्ट है;]

[10]* * * * * * *

[11]["पत्र" से कोई भी दस्तावेज अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत पुस्तक से भिन्न समाचारपत्र भी हैं;]

"विहित" से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 20क के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

"प्रेस रजिस्ट्रार" से धारा 19क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त भारत का समाचारपत्र रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रेस रजिस्ट्रार के सभी कृत्यों या उनमें से किसी को करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है;

"मुद्रण" के अन्तर्गत चक्रमुद्रण तथा शिलामुद्रण द्वारा मुद्रण भी है;

"रजिस्टर" से धारा 19ख के अधीन रखा गया समाचारपत्रों का रजिस्टर अभिप्रेत है ।]

[12][(2) इस अधिनियम में, किसी ऐसी विधि के प्रति, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, किसी निर्देश का उस राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के प्रति निर्देश है ।]

2. [1835 के अधिनियम संख्यांक 11 का निरसन ।]—निरसन अधिनियम, 1870 (1870 का 14) की धारा 1 तथा अनुसूची, भाग 2 द्वारा निरसित ।

भाग 2

मुद्रणालयों तथा समाचारपत्रों के विषय में

3. पुस्तकों तथा पत्रों पर विशिष्टियों का मुद्रित किया जाना—[13][भारत] में मुद्रित प्रत्येक पुस्तक या पत्र पर मुद्रक का नाम तथा मुद्रण का स्थान और (यदि वह पुस्तक या पत्र प्रकाशित किया जाता है तो) प्रकाशक का [14][नाम] तथा प्रकाशन का स्थान साफ-साफ मुद्रित किया जाएगा ।

---

[1] 1965 के अधिनियम सं० 16 की धारा 2 द्वारा धारा 1 को उसकी उपधारा (1) के रूप में (1-11-1965 से) पुन:संख्यांकित किया गया ।

[2] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 4 द्वारा "या शिला-मुद्रित" शब्दों का (1-7-1956 से) लोप किया गया ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "ब्रिटिश भारत" की परिभाषा निरसित की गई, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3 (5) में परिभाषा देखिए ।

[4] 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[5] 1965 के अधिनियम सं० 16 की धारा 2 द्वारा "भारत" की परिभाषा का (1-11-1965 से) लोप किया गया ।

[6] अब प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, देखिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं० 2) ।

[7] अब प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, देखिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) ।

[8] 1890 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 द्वारा "और एक जस्टिस आफ दि पीस" शब्दों का निरसन किया गया ।

[9] 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[10] 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "वचन" और "लिंग" से संबंधित पैरा निरसित किए गए; भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" की परिभाषा निरसित की गई और विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्त:स्थापित "राज्यों" की परिभाषा 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा निरसित की गई ।

[11] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 4 द्वारा (1-7-1956 से) अन्त:स्थापित ।

[12] 1965 के अधिनियम सं० 16 की धारा 2 द्वारा (1-11-1965 से) अन्त:स्थापित ।

[13] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[14] 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 2 भाग 1 द्वारा अन्त:स्थापित ।

4. मुद्रणालय रखने वाले द्वारा घोषणा—[1][(1)] [2][भारत] में कोई ऐसा व्यक्ति पुस्तकों या पत्रों के मुद्रण के लिए अपने कब्जे में कोई मुद्रणालय नहीं रखेगा, जिसने [3][जिला, प्रेसिडेंसी या उपखण्ड मजिस्ट्रेट] के समक्ष, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में ऐसा मुद्रणालय है, निम्नलिखित घोषणा नहीं की है तथा उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं :—

"मैं, क, ख, घोषित करता हूं कि मेरे पास____________में मुद्रण के लिए मुद्रणालय है ।"

और उपरोक्त रिक्त स्थान में, ऐसा मुद्रणालय जहां, स्थित है उस स्थान के बारे में सही और ठीक-ठीक विवरण भरा जाएगा ।

[4][(2) जितनी बार, वह स्थान, जहां मुद्रणालय रखा गया है, परिवर्तित किया जाता है, उतनी बार नई घोषणा आवश्यक होगी :

परन्तु जहां ऐसा परिवर्तन साठ दिन से अधिक की अवधि के लिए नहीं है और परिवर्तन के पश्चात् मुद्रणालय उपधारा (1) में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में रहता है वहां नई घोषणा की आवश्यकता नहीं होगी, यदि—

(क) परिवर्तन से सम्बन्धित विवरण परिवर्तन के चौबीस घंटे के भीतर उक्त मजिस्ट्रेट को दे दिया जाता है; और

(ख) मुद्रणालय रखने वाला व्यक्ति वही रहता है ।]

5. समाचारपत्रों के प्रकाशन के बारे में नियम—[2][भारत] में कोई भी [5][समाचारपत्र], इसमें इसके पश्चात् अधिकथित नियमों के अनुरूप ही प्रकाशित किया जाएगा, अन्यथा नहीं :

[6][(1) धारा 3 के उपबनधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे प्रत्येक समाचारपत्र की प्रत्येक प्रति पर उसके स्वामी तथा उसके सम्पादक के नाम तथा उसके प्रकाशन की तारीख भी स्पष्ट मुद्रित होगी ।]

[7][(2)] ऐसे प्रत्येक [8][समाचारपत्र] का मुद्रक तथा प्रकाशक [5][व्यक्तिगत रूप से या धारा 20 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार इस निमित्त प्राधिकृत अभिकर्ता की मार्फत, ऐसे जिला, प्रेसिडेंसी या उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में ऐसा समाचारपत्र मुद्रित या प्रकाशित किया जाएगा, [9]*** हाजिर होगा और निम्नलिखित घोषणा करेगा तथा उसकी दो प्रतियों पर हस्ताक्षर करेगा :—

"मैं, क, ख, घोषित करता हूं कि मैं______________(स्थान) में, यथास्थिति, [10][मुद्रित प्रकाशित किए जाने वाले अथवा मुद्रित और प्रकाशित किए जाने वाले]_____________या नामक [8][समाचारपत्र] का मुद्रण (या प्रकाशक, मुद्रक और प्रकाशक) हूं ।"

और इस घोषणा के प्ररूप की पहली पंक्ति में जहां मुद्रण या प्रकाशन किया जाता है, उस भवन के बारे में सही-सही और ठीक-ठीक विवरण भरा जाएगा ।

[11][(2क) नियम (2) के अधीन की प्रत्येक घोषणा में, समाचारपत्र का नाम, वह भाषा, जिसमें उसका प्रकाशन किया जाना है, तथा उसकी प्रकाशन-आवधिकता विनिर्दिष्ट की जाएगी और उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियां भी होंगी, जो विहित की जाएं ।]

[12][(2ख) जहां नियम (2) के अधीन की घोषणा करने वाला समाचारपत्र का मुद्रक या प्रकाशक उसका स्वामी नहीं है वहां उस घोषणा में स्वामी का नाम विनिर्दिष्ट किया जाएगा और उसके साथ स्वामी का लिखित रूप में ऐसा प्राधिकार भी होगा जिसमें उक्त व्यक्ति को घोषणा करने तथा उस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

(2ग) समाचारपत्र प्रकाशित करने से पूर्व उस समाचारपत्र की बाबत नियम (2) के अधीन घोषणा तथा धारा 6 के अधीन उसका अधिप्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा ।

(2घ) जहां किसी समाचारपत्र के नाम या उसकी भाषा या उसकी प्रकाशन-आवधिकता में परिवर्तन किया गया है वहां घोषणा प्रभावहीन हो जाएगी और समाचारपत्र के प्रकाशन को चालू करने से पूर्व नई घोषणा आवश्यक होगी ।

(2ङ) जितनी बार किसी समाचारपत्र के स्वामित्व में परिवर्तन किया जाता है उतनी बार नई घोषणा आवश्यक होगी ।]

---

[1] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 5 द्वारा (1-7-1956 से) धारा 4 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनसंख्यांकित किया गया ।

[2] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1951 के अधिनियम सं० 56 की धारा 36 द्वारा "मजिस्ट्रेट" के स्थान पर (1-2-1952 से) प्रतिस्थापित ।

[4] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 5 द्वारा (1-7-1956 से) जोड़ा गया ।

[5] 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1960 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 द्वारा नियम (1) के स्थान पर (1-10-1960 से) प्रतिस्थापित, जो 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा अन्त:स्थापित किया गया था ।

[7] 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा नियम (1) को नियम (2) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया ।

[8] 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा "नियतकालिक कार्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] 1960 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 द्वारा ", या ऐसा मुद्रक, या प्रकाशक निवास करता है," शब्दों का (1-10-1960 से) लोप किया गया ।

[10] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 6 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर (1-7-1956 से) प्रतिस्थापित ।

[11] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 6 द्वारा (1-7-1956 से) अंत:स्थापित ।

[12] 1960 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 द्वारा (1-10-1960 से) अंत:स्थापित ।

[1][(3)] जितनी बार मुद्रण तथा प्रकाशन के स्थान में परिवर्तन किया जाता है उतनी बार नई घोषणा आवश्यक होगी :

[2][परन्तु जहां ऐसा परिवर्तन तीस दिन से अधिक की अवधि के लिए नहीं है और परिवर्तन के पश्चात् मुद्रण अथवा प्रकाशन का स्थान नियम (2) में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में रहता है वहां नई घोषणा आवश्यक नहीं होगी यदि—

(क) परिवर्तन के चौबीस घंटे के भीतर परिर्वतन से सम्बन्धित विवरण उक्त मजिस्ट्रेट को दे दिया जाता है; और

(ख) समाचारपत्र का मुद्रक या प्रकाशक या मुद्रक और प्रकाशक वही व्यक्ति रहता है ।]

[3][(4) ऐसा मुद्रक या प्रकाशक, जिसने यथापूर्वोक्त घोषणा की है, नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए जितनी भी बार भारत में बाहर जाएगा या जहां ऐसा मुद्रक या प्रकाशक अशक्तता के कारण या अन्यथा नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए अपने कर्तव्यों को, ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें उसका पद रिक्त नहीं होता है, कार्यान्वित करने में असमर्थ रहेगा वहां, उतनी ही बार नई घोषणा आवश्यक होगी ।]

[2][(5) जहां समाचारपत्र के प्रकाशन का आरम्भ—

(क) सप्ताह में एक या एक से अधिक बार प्रकाशित किए जाने वाले समाचारपत्र की दशा में [4][धारा 6 के अधीन घोषणा के अधिप्रमाणन के] छह सप्ताह के भीतर; और

(ख) किसी अन्य समाचारपत्र की दशा में, [4][धारा 6 के अधीन घोषणा के अधिप्रमाणन के] तीन मास के भीतर,

नहीं कर दिया जाता वहां समाचारपत्र की बाबत की गई प्रत्येक घोषणा शून्य होगी और ऐसी प्रत्येक दशा में समाचारपत्र प्रकाशित किए जाने से पूर्व नई घोषणा आवश्यक होगी ।

(6) जहां तीन मास की किसी अवधि में कोई दैनिक, त्रिसाप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक, साप्ताहिक या पाक्षिक समाचारपत्र, अपने अंक उतनी संख्या में प्रकाशित करता है, जितनी संख्या तत्सम्बन्धी घोषणा के अनुसार प्रकाशित होने वाली संख्या के आधे से कम है वहां घोषणा प्रभावहीन हो जाएगी और समाचारपत्र का प्रकाशन जारी रखने से पूर्व नई घोषणा आवश्यक होगी ।

(7) जहां किसी अन्य समाचारपत्र का प्रकाशन बारह मास से अधिक की अवधि के लिए बंद हो गया है वहां उसके बारे में की गई प्रत्येक घोषणा प्रभावहीन हो जाएगी, और समाचारपत्र के पुन: प्रकाशन से पूर्व नई घोषणा आवश्यक होगी ।

(8) किसी समाचारपत्र के बारे में प्रत्येक विद्यमान घोषणा उस मजिस्ट्रेट द्वारा रद्द कर दी जाएगी, जिसके समक्ष उस समाचारपत्र के बारे में नई घोषणा की जाए और उस पर हस्तारक्षर किए जाएं :]

[5][परन्तु कोई भी व्यक्ति [6][जो मामूली तौर से भारत में निवास नहीं करता है या] जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के अनुसार अथवा जिस विधि से वह वयस्कता प्राप्त करने की बाबत शासित होता है उस विधि के अनुसार वयस्कता प्राप्त नहीं की है, इस धारा द्वारा विहित घोषणा करने के लिए न तो अनुज्ञात किया जाएगा और न ही कोई ऐसा व्यक्ति किसी समाचारपत्र का संपादन करेगा ।]

[7][5क. **जम्मू-कश्मीर में मुद्रणालय रखने वाले तथा समाचारपत्रों के मुद्रक तथा प्रकाशक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नई घोषणाएं करेंगे तथा उन पर हस्ताक्षर करेंगे**—(1) कोई भी व्यक्ति, जिसने जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट प्रेस एण्ड पब्लिकेशन ऐक्ट, संवत् 1989 (संवत् 1989 का जम्मू-कश्मीर अधिनियम संख्यांक 1) की धारा 4 के अधीन किसी मुद्रणालय के बारे में घोषणा की है तथा उस पर हस्ताक्षर किए हैं; [8][1968 के दिसम्बर के इकतीसवें दिन के पश्चात्] पुस्तकों या पत्रों के मुद्रण के लिए कोई भी मुद्रणालय तब तक अपने कब्जे में नहीं रखेगा, जब तक कि [8][उस तारीख की समाप्ति के पूर्व] वह इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन उस मुद्रणालय के बारे में नई घोषणा नहीं कर देता है तथा उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता है ।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसके जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट प्रेस एण्ड पब्लिकेशन ऐक्ट, संवत् 1989 (संवत् 1989 का जम्मू-कश्मीर अधिनियम संख्यांक 1) की धारा 5 के अधीन किसी समाचारपत्र के बारे में किसी घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, [8][1968 के दिसम्बर के इकतीसवें दिन के पश्चात्] उस घोषणा में उल्लिखित समाचारपत्र का सम्पादक, मुद्रक या प्रकाशक केवल उसी दशा में रहेगा जब वह [8][उस तारीख की समाप्ति के पूर्व] वह इस अधिनियम की धारा 5 में अधिकथित नियमों के नियम (2) के अधीन उस समाचारपत्र की बाबत नई घोषणा कर देता है तथा उस पर हस्ताक्षर कर देता है अन्यथा नहीं ।]

---

[1] 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा नियम (2) को नियम (3) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया ।
[2] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 6 द्वारा (1-7-1956 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1960 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 द्वारा नियम (4) के स्थान पर (1-10-1960 से) प्रतिस्थापित, जिसे 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा मूल नियम (3) के स्थान पर पनुर्संख्यांकित किया गया था ।
[4] 1960 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 द्वारा "घोषणा" के स्थान पर (1-10-1960 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[6] 1960 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 द्वारा (1-10-1960 से) अन्त:स्थापित ।
[7] 1965 के अधिनियम सं० 16 की धारा 3 द्वारा (1-11-1965 से) अन्त:स्थापित ।
[8] 1968 के अधिनियम सं० 30 की धारा 2 द्वारा (भूतलक्षी रूप से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

6. घोषणा का अधिप्रमाणन—इस प्रकार पूर्वोक्त रूप में की गई तथा हस्ताक्षर की गई प्रत्येक घोषणा की दो मूल प्रतियों में से प्रत्येक प्रति उस मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके समक्ष उक्त घोषणा की गई है, हस्ताक्षरित तथा प्राधिकारिक मुद्रा से अधिप्रमाणित की जाएगी :

[1][परन्तु जहां किसी समाचारपत्र के बारे में धारा 5 के अधीन कोई घोषणा की गई है तथा उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वहां वह घोषणा, उसी व्यक्ति के स्वामित्व के समाचारपत्रों को छोड़कर, इस प्रकार अधिप्रमाणित नहीं की जाएगी जब तक कि [2][मजिस्ट्रेट का, प्रेस रजिस्ट्रार से पूछताछ करने पर, यह समाधान नहीं हो जाता है] कि प्रकाशित किए जाने के लिए प्रस्तावित समाचारपत्र का वही नाम या उससे मिलता-जुलता नाम नहीं है जो या तो उसी भाषा में या उसी राज्य में किसी अन्य प्रकाशित समाचारपत्र का है ।]

निक्षेप—उक्त मूल प्रतियों में से एक मजिस्ट्रेट के कार्यालय के अभिलेखों में रखी जाएगी और दूसरी उच्च न्यायालय के या जहां उक्त घोषणा की गई थी, [3][उस स्थान के लिए आरम्भिक अधिकारिता रखने वाले अन्य प्रधान सिविल न्यायालय के] अभिलेखों में रखी जाएगी ।

प्रतियों का निरीक्षण तथा उनका दिया जाना—प्रत्येक मूल प्रति का भारसाधक अधिकारी किसी भी व्यक्ति को, एक रुपया फीस संदाय करने पर, उस मूल प्रति का निरीक्षण करने देगा, और आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, दो रुपया फीस संदाय करने पर, उक्त घोषणा की एक प्रति उस न्यायालय की मुद्रा से, जिसकी अभिरक्षा में मूल प्रति है, अनुप्रमाणित करके देगा ।

[4][मजिस्ट्रेट की प्राधिकारिक मुद्रा से अनुप्रमाणित घोषणा की एक प्रति, या घोषणा अधिप्रमाणित करने से इंकार करने वाले आदेश की एक प्रति, यथाशक्य शीघ्र, उस व्यक्ति को, जो घोषणा करता है और उस पर हस्ताक्षर करता है, और प्रेस रजिस्ट्रार को भी, भेजी जाएगी ।]

7. घोषणा की कार्यालय प्रति का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होना—किसी भी सिविल तथा दाण्डिक विधिक कार्यवाही में, ऐसी घोषणाओं की अभिरक्षा के लिए इस अधिनियम द्वारा सशक्त किए गए किसी न्यायालय की मुद्रा से अनुप्रमाणित यथापूर्वोकृत ऐसी घोषणा की प्रति का, [5][या संपादक की दशा में उस समाचारपत्र की प्रति का, जिस पर उसका नाम संपादक के रूप में मुद्रित है,] पेश किया जाना (जब तक तत्प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता) तब तक ऐसे व्यक्ति के प्रति, जिसका नाम [5][,यथास्थिति,] उस घोषणा पर हस्ताक्षरित [5][या उस समाचारपत्र पर मुद्रित है,] इस बात का पर्याप्त साक्ष्य माना जाएगा कि वह व्यक्ति ऐसे प्रत्येक [6][समाचारपत्र] के प्रत्येक भाग का, जिसका नाम वही है जो उस घोषणा में उल्लिखित [6][समाचारपत्र] का है (उक्त घोषणा के शब्दों के अनुसार) मुद्रक या प्रकाशक, या मुद्रक और प्रकाशक था [5][या उस समाचारपत्र के उस अंक के, जिसकी प्रति पेश की गई है, प्रत्येक भाग का संपादक था] ।

8. ऐसे व्यक्तियों द्वारा नई घोषणा, जिन्होंने घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं किन्तु जो बाद में मुद्रक या प्रकाशक नहीं रहे—[7][यदि किसी व्यक्ति ने किसी समाचारपत्र के बारे में किसी घोषणा पर धारा 5 के अधीन हस्ताक्षर किए हैं और धारा 6 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा वह घोषणा अधिप्रमाणित की गई है और तत्पश्चात् वह व्यक्ति उस घोषणा में उल्लिखित समाचारपत्र का मुद्रक या प्रकाशक नहीं रह जाता है तो वह किसी जिला, प्रेसिडेंसी या उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होगा और निम्नलिखित घोषणा करेगा तथा उसकी दो प्रतियों पर हस्ताक्षर करेगा :—

"मैं, क, ख, घोषित करता हूं कि मैं ....नामक समाचारपत्र का अब मुद्रक या प्रकाशक, अथवा मुद्रक और प्रकाशक नहीं हूं" ।]

अधिप्रमाणन और फाइल करना—पश्चात्कथित घोषणा की प्रत्येक मूल प्रति उस मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर तथा मुद्रा से अधिप्रमाणित की जाएगी जिसके समक्ष पश्चात्कथित उक्त घोषणा की गई है और पश्चात्कथित उक्त घोषणा की एक मूल प्रति पूर्व कथित घोषणा की प्रत्येक मूल प्रति के साथ फाइल की जाएगी ।

प्रतियों का निरीक्षण तथा दिया जाना—पश्चात्कथित घोषणा की प्रत्येक मूल प्रति का भारसाधक अधिकारी आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, एक रुपया फीस संदाय करने पर, उस मूल प्रति का निरीक्षण करने देगा, और आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, दो रुपया फीस संदाय करने पर, पश्चात्कथित उक्त मूल घोषणा की एक प्रति उस न्यायालय की मुद्रा से, जिसकी अभिरक्षा में मूल प्रति है, अनुप्रमाणित करके देगा ।

साक्ष्य में प्रति का रखा जाना—सभी ऐसे विचारणों में, जिनमें पूर्वोक्त अनुप्रमाणित पूर्वकथित घोषणा की प्रति साक्ष्य में रखी जा सकेगी, यह विधिपूर्ण होगा कि पश्चात्कथित घोषणा की पूर्वोक्त अनुप्रमाणित प्रति साक्ष्य में रखी जाए, और वह पूर्वकथित घोषणा इस साक्ष्य के रूप में नहीं ली जाएगी कि घोषणाकर्ता पश्चात्कथित घोषणा की तारीख के पश्चात् की किसी अवधि में, उसमें उल्लिखित [6][समाचारपत्र] का मुद्रक या प्रकाशक था ।

[8][मजिस्ट्रेट की प्राधिकारी मुद्रा से अनुप्रमाणित पश्चात्कथित घोषणा की प्रति प्रेस रजिस्ट्रार को भेज दी जाएगी ।]

---

[1] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 7 द्वारा (1-7-1956 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 1960 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 द्वारा (1-10-1960 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1890 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1960 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 द्वारा चौथे पैरा के, जिसे 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 7 द्वारा (1-7-1956 से) अन्त:स्थापित किया गया था, स्थान पर (1-10-1960 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा "नियतकालिक कार्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 8 द्वारा (1-7-1956 से) पहले पैरा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 8 द्वारा (1-7-1956 से) अंत:स्थापित ।

[1][**8क. वह व्यक्ति, जिसका नाम गलती से संपादक के रूप में प्रकाशित हुआ है मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा कर सकता है**—यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम किसी समाचारपत्र की प्रति पर संपादक के रूप में छप गया है, यह दावा करता है कि वह उस अंक का जिस पर उसका नाम इस प्रकार छप गया है, संपादक नहीं था, तो वह, उसे यह ज्ञात होने के दो सप्ताह के भीतर कि उसका नाम इस प्रकार छप गया है, किसी जिला, प्रेसिडेंसी या उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होकर यह घोषणा कर सकता है कि उसका नाम उस अंक में उसके संपादक के रूप में गलती से छप गया था, और यदि उस मजिस्ट्रेट का ऐसी जांच करने या कराने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे यह समाधान हो जाता है कि वह घोषणा सही है तो वह तद्नुसार प्रमाणित करेगा, और ऐसा प्रमाणपत्र दिए जाने पर धारा 7 के उपबन्ध उस व्यक्ति को, उस समाचारपत्र के उस अंक की बाबत लागू नहीं होंगे।

किसी भी दशा में मजिस्ट्रेट इस धारा द्वारा अनुज्ञात अवधि को बढ़ा सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति पर्याप्त कारण से उक्त अवधि के भीतर हाजिर होने तथा घोषणा करने से निवारित किया गया था।]

[2][**8ख. घोषणा का रद्द किया जाना**—यदि प्रेस रजिस्ट्रार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर अथवा अन्यथा इस अधिनियम के अधीन घोषणा अधिप्रमाणित करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट की यह राय है कि किसी समाचारपत्र के बारे में की गई कोई घोषणा रद्द की जानी चाहिए तो वह सम्बद्ध व्यक्ति को, प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात्, उस मामले की जांच कर सकेगा और यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा दिखाए गए कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् तथा उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि—

(i) वह समाचारपत्र, जिसके बारे में घोषणा की गई है इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रकाशित किया जा रहा है; या

(ii) घोषणा में उल्लिखित समाचारपत्र का नाम वही है या उस नाम से मिलता-जुलता है, जो या तो उसी भाषा में या उसी राज्य में प्रकाशित किसी समाचारपत्र का है; या

(iii) मुद्रक या प्रकाशक, उस घोषणा में उल्लिखित समाचारपत्र का मुद्रक या प्रकाशक नहीं रह गया है; या

(iv) घोषणा, मिथ्या व्यपदेशन पर या किसी सारवान् तथ्य को छिपाकर की गई थी या ऐसी कालिक कृति के बारे में की गई थी, जो समाचारपत्र नहीं है,

तो वह मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा, घोषणा रद्द कर सकेगा और आदेश की एक प्रति घोषणा करने वाले या उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को तथा प्रेस रजिस्ट्रार को भी यथाशक्य शीघ्र भेजेगा।

8ग. अपील—(1) मजिस्ट्रेट के, धारा 6 के अधीन किसी घोषणा को अधिप्रमाणित करने से इंकार करने वाले या धारा 8ख के अधीन किसी घोषणा को रद्द करने वाले आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से साठ दिन के भीतर, जिसको ऐसा आदेश उसे संसूचित किया गया था, मुद्रणालय तथा रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड नामक अपील बोर्ड को, जो [3][प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले अध्यक्ष तथा एक अन्य सदस्य से मिल कर बनेगा,] अपील कर सकेगा :

परन्तु अपील बोर्ड उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(2) इस धारा के अधीन अपील की प्राप्ति पर, अपील बोर्ड, मजिस्ट्रेट से अभिलेखों को मंगवाने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जैसी वह ठीक समझता है, उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपील बोर्ड, आदेश द्वारा अपनी पद्धति तथा प्रक्रिया विनियमित कर सकेगा।

(4) अपील बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा।]

[4][**भाग 3**

पुस्तकों का परिदान

9. अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् मुद्रित पुस्तकों की प्रतियों का सरकार को मुफ्त दिया जाना—प्रत्येक सम्पूर्ण पुस्तक की मुद्रित [5]*** प्रतियां, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् [6][भारत] में मुद्रित [5]*** की जाती हैं, उसके सभी मानचित्रों, मुद्रणों या अन्य उत्कीर्णों सहित, जो उस पुस्तक की सर्वोत्तम कृतियों की भांति परिसाधित और रंजित की गई हों, उसके मुद्रक या प्रकाशक के बीच

[1] 1922 के अधिनियम सं०14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा अंत: स्थापित।
[2] 1960 के अधिनियम सं० 26 की धारा 4 द्वारा (1-10-1960 से) अन्त:स्थापित।
[3] 1978 के अधिनियम सं० 37 की धारा 27 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[4] 1890 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 द्वारा मूल भाग 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[5] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 9 द्वारा (1-7-1956 से) "या शिला-मुद्रित" शब्दों का लोप किया गया।
[6] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(यदि पुस्तक प्रकाशित की जाए तो) किसी करार के होते हुए भी, मुद्रक द्वारा सरकार को मुफ्त ऐसे स्थान पर तथा ऐसे अधिकारी को, जिसके लिए राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर निदेश दे, निम्नलिखित प्रकार से दी जाएंगी, अर्थात् :—

(क) किसी भी दशा में, उस दिन के पश्चात् एक कलेण्डर मास के भीतर, जिसको ऐसी पुस्तक मुद्रणालय से पहली बार बाहर निकाली जाए, ऐसी एक प्रति, और

(ख) यदि उस दिन से एक कलेण्डर वर्ष के भीतर राज्य सरकार मुद्रक से ऐसी दो से अनधिक अन्य प्रतियां देने की अपेक्षा करती है तो, उस दिन जिसको राज्य सरकार द्वारा मुद्रक से ऐसी अपेक्षा करने के दिन के पश्चात् एक कलेण्डर मास के भीतर, ऐसी अन्य एक या दो प्रतियां, जैसा भी सरकार निदेश दे, और इस प्रकार दी गई प्रतियां जिल्द बंधी, सिली हुई या टांके से सिली हुई ऐसे सर्वोत्तम कागज पर होंगी जिस पर उस पुस्तक की प्रतियां मुद्रित [1]*** की गई हों ।

प्रकाशक या कोई अन्य व्यक्ति जो मुद्रक को नियोजित करे पूर्वोक्त परिसाधित तथा रंजित सभी मानचित्रों, मुद्रणों और उत्कीर्णों को जो मुद्रक को पूर्वोक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, उक्त मास की समाप्ति के पूर्व उचित समय पर देगा ।

इस धारा के पूर्वकथित भाग की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(i) किसी पुस्तक का द्वितीय या पश्चात्वर्ती संस्करण, जिस संस्करण में पुस्तक के लेटर-प्रेस में या मानचित्रों, मुद्रणों या अन्य उत्कीर्णों में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किए गए हैं, और जिस पुस्तक के प्रथम या किसी पूर्ववर्ती संस्करण की प्रति इस अधिनियम के अधीन दी जा चुकी है, या

(ii) इस अधिनियम की धारा 5 में अधिकथित नियमों के अनुरूप प्रकाशित कोई [2][समाचारपत्र] ।

10. धारा 9 के अधीन दी गई प्रतियों के लिए रसीद—वह अधिकारी, जिसे किसी पुस्तक की प्रति अन्तिम पूर्वगामी धारा के अधीन दी गई है, मुद्रक को उसके लिए लिखित रसीद देगा ।

11. धारा 9 के अधीन दी गई प्रतियों का निपटारा—इस अधिनियम की धारा 9 के प्रथम पैरे के खण्ड (क) के अनुसरण में दी गई प्रति का वैसे ही निपटारा किया जाएगा जैसे राज्य सरकार, समय-समय पर अवधारित करे ।

उक्त पैरा के खण्ड (ख) के अनुसरण में दी गई कोई प्रति या प्रतियां [3][केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी] ।

[4][**11क. भारत में मुद्रित समाचारपत्र की प्रतियों का सरकार को मुफ्त दिया जाना**—[5][भारत] में प्रत्येक समाचारपत्र का मुद्रक ऐसे समाचारपत्र के प्रत्येक अंक की दो प्रतियां सरकार को ऐसे स्थान पर तथा ऐसे अधिकारी को जिसके लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे, उसके प्रकाशन के बाद यथाशक्य शीघ्र मुफ्त देगा ।]

[6][**11ख. समाचारपत्रों की प्रतियों का प्रेस रजिस्ट्रार को दिया जाना**—ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए जाएं, भारत में प्रत्येक समाचारपत्र का प्रकाशक, प्रेस रजिस्ट्रार को ऐसे समाचारपत्र के प्रत्येक अंक की एक प्रति, उसके प्रकाशन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, मुफ्त देगा ।]

भाग 4

शास्तियां

12. धारा 3 में दिए गए नियम के विरुद्ध मुद्रण के लिए शास्ति—जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 में दिए गए नियम के अनुरूप कोई पुस्तक या पत्र मुद्रित या प्रकाशित न करके अन्यथा प्रकाशित करेगा, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो [7][दो हजार] रुपए से अधिक का नहीं होगा, या सादे कारावास से, जिसकी अवधि [8][छह मास] से अधिक की नहीं होगी, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

13. धारा 4 में अपेक्षित घोषणा किए बिना मुद्रणालय रखने के लिए शास्ति—जो कोई, पूर्वोक्त कोई मुद्रणालय, [9][इस अधिनियम की धारा 4 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से किसी के उल्लंघन में,] अपने कब्जे में रखेगा, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर

---

1 1955 के अधिनियम सं० 55 धारा 9 द्वारा (1-7-1956 से) "या शिला मुद्रित" शब्दों का लोप किया गया ।

2 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा "नियतकालिक कार्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3 विधि अनुकूल आदेश, 1948 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

4 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा अन्त:स्थापित ।

5 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

6 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 10 द्वारा (1-7-1956 से) अन्त:स्थापित ।

7 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा "पांच हजार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

8 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा "दो वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

9 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 11 द्वारा "इस अधिनियम की धारा 4 द्वारा अपेक्षित रूप में ऐसी कोई घोषणा किए बिना" के स्थान पर (1-7-1956 से) प्रतिस्थापित ।

जुर्माने से, जो [1][दो हजार] रुपए से अधिक का नहीं होगा या सादे कारावास से, जिसकी अवधि [2][छह मास] से अधिक की नहीं होगी, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

14. मिथ्या कथन करने के लिए दंड—कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्राधिकार के अधीन [3][कोई घोषणा या अन्य कथन] करते हुए ऐसा कथन करेगा जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह या तो यह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या उसके सही होने के बारे में वह विश्वास नहीं करता हैं करता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो [4][दो हजार] रुपए से अधिक का नहीं होगा और कारावास से, जिसकी अवधि [5][छह मास] से अधिक की नही होगी, दंडित किया जाएगा ।

15. नियमों का अनुपालन किए बिना समाचारपत्र के मुद्रण या प्रकाशन के लिए शास्ति—[6][(1)] जो कोई, इसमें इसके पूर्व अधिकथित नियमों का अनुपालन किए बिना किसी [7][समाचारपत्र] का [8][संपादन,] मुद्रण या प्रकाशन करेगा, या जो कोई यह जानते हुए कि [9][उस समाचारपत्र] की बाबत उक्त नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है, किसी [10][समाचारपत्र] का [8][संपादन], मुद्रण या प्रकाशन करेगा या उसका [8][संपादन], मुद्रण या प्रकाशन करवाएगा, वह, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर, जुर्माने से जो, [4][दो हजार] रुपए से अधिक का नहीं होगा या कारावास से, जिसकी अवधि [5][छह मास] से अधिक की नहीं होगी, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

[11][(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी समाचारपत्र के सम्बन्ध में कोई अपराध किया गया है वहां मजिस्ट्रेट, उक्त उपधारा के अधीन अधिरोपित दंड के अतिरिक्त, उस समाचारपत्र की बाबत की गई घोषणा को भी रद्द कर सकेगा ।]

[12]**[15क. धारा 8 के अधीन घोषणा न करने के लिए शास्ति**—यदि कोई व्यक्ति, जो किसी समाचारपत्र का मुद्रक या प्रकाशक नहीं रह गया है, धारा 8 के अनुपालन में घोषणा करने में असफल रहेगा या घोषणा करने में उपेक्षा करेगा तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर, जुर्माने से जो, दो सौ रुपए से अधिक का नहीं होगा, दंडनीय होगा ।]

[13]**[16. पुस्तकें न देने के लिए या मुद्रक को मानचित्र न देने के लिए शास्ति**—यदि इस अधिनियम की धारा 9 में निर्दिष्ट किसी पुस्तक का कोई मुद्रक उस धारा के अनुसरण में उसकी प्रतियां देने में उपेक्षा करेगा तो, वह ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए सरकार के पक्ष में पचास रुपए से अनधिक उतनी राशि समपहृत करेगा जितनी उस स्थान में, जहां वह पुस्तक मुद्रित की गई थी, अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट, उस अधिकारी के, जिसे प्रतियां दी जानी थीं, या इस निमित्त उस अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के आवेदन पर उन परिस्थितियों में उस व्यतिक्रम के लिए उचित शास्ति अवधारित करे, और ऐसी राशि के अतिरिक्त उतनी राशि और समपहृत करेगा जितनी वह मजिस्ट्रेट उन प्रतियों के मूल्य के रूप में अवधारित करे, जो मुद्रक द्वारा दी जानी थीं ।

यदि कोई प्रकाशक या अन्य व्यक्ति, जो मुद्रक को नियोजित करे इस अधिनियम की धारा 9 के दूसरे पैरे में विहित रीति से, ऐसे मानचित्रों, मुद्रणों या उत्कीर्णों को जो उस धारा के उपबन्धों का अनुपालन करने में मुद्रक को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं, उसे देने में उपेक्षा करेगा, तो ऐसा प्रकाशक या अन्य व्यक्ति प्रत्येक ऐसे व्यतिक्रम के लिए, पचास रुपए से अनधिक उतनी राशि जितनी पूर्वोक्त मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त आवेदन पर उन परिस्थितियों में उस व्यतिक्रम के लिए उचित शास्ति अवधारित करे, सरकार के पक्ष में समपहृत करेगा और ऐसी राशि के अतिरिक्त उतनी और राशि समपहृत करेगा जितनी वह मजिस्ट्रेट उन मानचित्रों, मुद्रणों या उत्कीर्णों के मूल्य में अवधारित करे, जो ऐसे प्रकाशक या अन्य व्यक्ति द्वारा दिए जाने थे ।]

[8]**[16क. सरकार को समाचारपत्र की प्रतियां मुफ्त न देने के लिए शास्ति**—यदि [14][भारत] में प्रकाशित किसी समाचारपत्र का कोई मुद्रक धारा 11क के अनुपालन में उसकी प्रतियां देने में उपेक्षा करेगा तो वह, उस अधिकारी को, जिसे प्रतियां दी जानी चाहिए थीं या इस निमित्त उस अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की शिकायत पर, उस स्थान में, जहां समाचारपत्र का मुद्रण किया गया था, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर, जुर्माने से दंडनीय होगा जो प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए पचास रुपए तक का हो सकेगा ।]

[15]**[16ख. प्रेस रजिस्ट्रार को समाचारपत्र की प्रतियां न देने के लिए शास्ति**—यदि भारत में प्रकाशित किसी समाचारपत्र का कोई प्रकाशक धारा 11ख के अनुपालन में उसकी प्रतियां देने में उपेक्षा करेगा तो वह, प्रेस रजिस्ट्रार की शिकायत पर, उस स्थान में, जहां

---

[1] 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा "पांच हजार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा "दो वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 12 द्वारा " कोई घोषणा" के स्थान पर (1-7-1956 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा "पांच हजार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा "दो वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1960 के अधिनियम सं० 26 की धारा 5 द्वारा धारा 15 उसकी उपधारा (1) के रूप में (1-10-1960 से) पुनर्संख्यांकित किया गया ।
[7] 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा "इसमें इसके पूर्व वर्णित ऐसा नियतकालिक कार्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[9] 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा "वह कार्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[10] 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा "ऐसा नियतकालित कार्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[11] 1960 के अधिनियम सं० 26 की धारा 5 द्वारा (1-10-1960 से) अन्त:स्थापित ।
[12] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 13 द्वारा (1-7-1956 से) अन्त:स्थापित ।
[13] 1890 के अधिनियम सं० 10 की धारा 5 द्वारा पूर्ववर्ती धारा 16 और धारा 17 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[14] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[15] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 14 द्वारा (1-7-1956 से) अन्त:स्थापित ।

उस समाचारपत्र का मुद्रण किया गया था, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर, जुर्माने से दंडनीय होगा, जो प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए पचास रुपए तक का हो सकेगा ।]

17. समपहरणों की वसूली तथा उनका और जुर्मानों का व्ययन—[1][धारा 16] के अधीन सरकार के पक्ष में समपहृत कोई भी धनराशि, उस राशि का अवधारण करने वाले मजिस्ट्रेट या पद में उसके उत्तरवर्ती के अधिपत्र के अधीन जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए उस समय प्रवृत्त [2]दंड प्रक्रिया संहिता (1882 का 10) द्वारा प्राधिकृत रीति से तथा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) द्वारा विहित अवधि के भीतर, वसूल की जा सकेगी ।

[3]* * * * * *

भाग 5

पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण

18. पुस्तकों के ज्ञापनों का रजिस्ट्रीकरण—ऐसे कार्यालय में तथा ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार, इस निमित्त नियुक्त करे, [4][भारत] में मुद्रित पुस्तकों का सूचीपत्र नाम की एक पुस्तक रखी जाएगी, जिसमें ऐसी प्रत्येक पुस्तक का ज्ञापन रजिस्टर किया जाएगा, जो इस अधिनियम की [5][धारा 9 के प्रथम पैरे के खंड (क) के अनुसरण में] दी गई होगी । ऐसे ज्ञापन में, (जहां तक हो सके) निम्निलिखित विशिष्टियां होंगी, (अर्थात्) :—

(1) पुस्तक का नाम तथा मुख-पृष्ठ की सामग्री और ऐसे नाम तथा सामग्री का, यदि वे अंग्रेजी भाषा में नहीं हैं, तो, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद;

(2) वह भाषा, जिसमें पुस्तक लिखी गई है;

(3) पुस्तक या उसके किसी भाग के लेखक, अनुवादक या संपादक का नाम;

(4) विषय;

(5) मुद्रण का स्थान तथा प्रकाशन का स्थान;

(6) मुद्रक या उसकी फर्म का नाम और प्रकाशक या उसकी फर्म का नाम;

(7) मुद्राणालय से जारी किए जाने की या प्रकाशन की तारीख;

(8) शीटों, पन्नों या पृष्ठों की संख्या;

(9) आकार;

(10) प्रथम, द्वितीय या अन्य संस्करण की संख्या;

(11) संस्करण की प्रतियों की संख्या;

(12) क्या पुस्तक मुद्रित है, [6][चक्रमुद्रित है या शिला-मुद्रित] है;

(13) वह कीमत, जिस पर पुस्तक जनसाधारण को बेची जाती है, और

(14) प्रतिलिप्यधिकार के या ऐसे प्रतिलिप्यधिकार के किसी प्रभाग के स्वत्वधारी का नाम तथा पता ।

ऐसा ज्ञापन [7][धारा 9 के प्रथम पैरे के खंड (क) के अनुसरण में प्रत्येक पुस्तक की प्रति] देने के पश्चात् जितना शीघ्र हो सके किया जाएगा तथा उसे रजिस्टर किया जाएगा [8]*** ।

19. रजिस्टर किए गए ज्ञापनों का प्रकाशन—उक्त सूचीपत्र में, प्रत्येक तिमाही के दौरान रजिस्टर किए गए ज्ञापन, ऐसी तिमाही की समाप्ति के पश्चात् यावत्शक्त शीघ्र राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और इस प्रकार प्रकाशित ज्ञापनों की एक प्रति [9]*** [10]*** केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

---

[1] 1923 के अधिनियम सं० 11 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "अंतिम पूर्वगामी धारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] देखिए अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा दूसरा पैरा निरसित किया गया ।

[4] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1890 के अधिनियम सं० 10 की धारा 6 द्वारा "धारा 9 के अनुसरण में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 15 "या लिथोग्राफ किया गया" के स्थान पर (1-7-1956 से) प्रतिस्थापित ।

[7] 1890 के अधिनियम सं० 10 की धारा 6 द्वारा "पूर्वोक्त रूप में उसकी प्रतियां" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1914 के अधिनियम सं० 3 की धारा 15 और अनुसूची 2 द्वारा धारा 18 का अंतिम वाक्य निरसित किया गया ।

[9] विधि अनुकूल आदेश, 1948 द्वारा "क्रमश:" शब्द का लोप किया गया ।

[10] विधि अनुकूल आदेश, 1948 द्वारा "उक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और" शब्द निरसित किए गए ।

[1][भाग 5क

समाचारपत्रों का रजिस्ट्रीकरण

19क. प्रेस रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति—केन्द्रीय सरकार, भारत के समाचारपत्र रजिस्ट्रार और प्रेस रजिस्ट्रार के साधारण के अधीक्षण तथा नियंत्रण के अधीन ऐसे अन्य अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सौंपे गए कृत्य करने के लिए आवश्यक हों और साधारण या विशेष आदेश द्वारा उन कृत्यों के वितरण या आबंटन के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन उन्हें करने हैं ।

19ख. समाचारपत्रों का रजिस्टर—(1) प्रेस रजिस्ट्रार विहित रीति से समाचारपत्रों का एक रजिस्टर रखेगा ।

(2) रजिस्टर में भारत में प्रकाशित प्रत्येक समाचारपत्र के बारे में जहां तक हो सके निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात: —

(क) समाचारपत्र का नाम;

(ख) वह भाषा, जिसमें समाचारपत्र प्रकाशित किया जाता है;

(ग) समाचारपत्र की प्रकाशन-आवधिकता;

(घ) समाचारपत्र के संपादक, मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम;

(ङ) मुद्रण तथा प्रकाशन का स्थान;

(च) प्रति सप्ताह पृष्ठों की औसत संख्या;

(छ) वर्ष में प्रकाशन के दिन की संख्या;

(ज) मुद्रित प्रतियों की औसत संख्या, जनता को बेची गई प्रतियों की औसत संख्या और जनता को मुफ्त वितरित की गई प्रतियों की औसत संख्या; यह औसत ऐसी अवधि के प्रति निर्देश करते हुए संगणित की जाएगी जो विहित की जाए;

(झ) प्रत्येक प्रति की फुटकर विक्रय कीमत;

(ञ) समाचारपत्र के स्वामियों के नाम तथा पते और स्वामित्व से संबंधित ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं;

(ट) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं ।

(3) पूर्वोक्त विशिष्टियों की बाबत समय-समय पर जानकारी की प्राप्ति पर प्रेस रजिस्ट्रार रजिस्टर में सुसंगत प्रविष्टियों को दर्ज करवाएगा और उनमें ऐसे आवश्यक परिवर्तन या सुधार कर सकेगा जो रजिस्टर को अद्यतन बनाए रखने के लिए अपेक्षित हों ।

19ग. रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र—मजिस्ट्रेट से किसी समाचारपत्र की बाबत धारा 6 के अधीन घोषणा की प्रति की प्राप्ति पर, [2][और ऐसे समाचारापत्र के प्रकाशन पर, प्रेस रजिस्ट्रार,] उसके पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, उस समाचारपत्र की बाबत रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र उसके प्रकाशक को जारी करेगा ।

19घ. समाचारपत्रों द्वारा वार्षिक विवरण, आदि का दिया जाना—प्रत्येक समाचारपत्र के प्रकाशक का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) प्रेस रजिस्ट्रार को समाचारपत्र की बाबत ऐसे समय पर और धारा 19ख की उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसी विशिष्टियों सहित, जो विहित की जाएं, एक वार्षिक विवरण दे;

(ख) समाचारपत्र में ऐसे समय पर और समाचारपत्र के संबंध में धारा 19ख की उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसी विशिष्टियां प्रकाशित करे जो प्रेस रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं ।

19ङ समाचारपत्रों द्वारा विवरणियां तथा रिपोर्टों का दिया जाना—प्रत्येक समाचारपत्र का प्रकाशक प्रेस रजिस्ट्रार को धारा 19ख की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशिष्टियों में से किसी की बाबत ऐसी विवरणियां, आंकड़े तथा अन्य जानकारी देगा, जिसकी इस निमित्त प्रेस रजिस्ट्रार समय-समय पर अपेक्षा करे ।

19च. अभिलेखों तथा दस्तावेजों को देखने का अधिकार—प्रेस रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी समाचारपत्र से संबंधित किसी जानकारी के संग्रहण के प्रयोजन के लिए किसी भी सुसंगत अभिलेख या दस्तावेज को, जो उसके प्रकाशक के कब्जे में है, देख सकेगा और किसी भी उचित समय पर किसी ऐसे भवन में प्रवेश कर सकेगा जहां ऐसा अभिलेख या दस्तावेज होने का उसे विश्वास है और सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण

---

[1] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 16 द्वारा धारा 19क से 19ठ तक से युक्त भाग 5क (1-7-1956 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1960 के अधिनियम सं० 26 की धारा 6 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर (1-10-1960 से) प्रतिस्थापित ।

कर सकेगा या उनकी प्रतियां ले सकेगा या इस अधिनियम के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा ।

19छ. वार्षिक रिपोर्ट—प्रेस रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष, ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें भारत में समाचारपत्रों की बाबत पूर्वतन वर्ष के दौरान उसके द्वारा प्राप्त जानकारी का संक्षेप होगा और जिसमें ऐसे समाचारपत्रों के कार्यचालन का विवरण दिया जाएगा, और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी ।

19ज. रजिस्टर से उद्धरणों की प्रतियां देना—रजिस्टर से किसी उद्धरण की प्रति देने के लिए किसी व्यक्ति के आवेदन पर तथा ऐसी फीस से संदाय पर, जो विहित की जाए, प्रेस रजिस्ट्रार ऐसी प्रति आवेदक को, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति से देगा, जो विहित की जाए ।

19झ. शक्तियों का प्रत्यायोजन—इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रेस रजिस्ट्रार इस अधिनियम कें अधीन की अपनी सभी शक्तियों या उनमें से किसी शक्ति को अपने अधिनस्थ किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

19ञ. प्रेस रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना—इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रेस रजिस्ट्रार और सभी अधिकारी भारतीय दंड संहिता (1860 की 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे ।

19ट. धारा 19घ या धारा 19ङ आदि के उल्लंघन के लिए शास्ति—यदि किसी समाचारपत्र का प्रकाशक—

(क) धारा 19घ या धारा 19ङ के उपबंधों का अनुपालन करने से इंकार करेगा या उसकी उपेक्षा करेगा, या

[1]* * * * * *

(ग) समाचारपत्र में, उस समाचारपत्र से सम्बन्धित कोई ऐसी विशिष्टियां धारा 19घ के खंड (ख) के अनुसरण में प्रकाशित करेगा, जिसके मिथ्या होने के बारे में विश्वास करने का उसके पास कारण है,

तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

19ठ. जानकारी के अनुचित प्रकटन के लिए शास्ति—यदि इस अधिनियम के अधीन जानकारी के संग्रहण के सम्बन्ध में लगा हुआ कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी जानकारी या प्रस्तुत की गई किसी विवरणी की विषयवस्तु को, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निष्पादन से या इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के प्रयोजनों से अन्यथा जानबूझकर प्रकट करेगा तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

भाग 6

प्रकीर्ण

[2][**20. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति**—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम (जो धारा 20क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हैं) जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हों, बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।]

[3][**20क. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी—

(क) ऐसी विशिष्टियां विहित करना जो धारा 5 के अधीन की गई तथा हस्ताक्षरित घोषणा में दी जा सकेंगी [4][और वह प्ररूप, जिसमें तथा वह रीति जिससे समाचारपत्र के मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी तथा संपादक के नाम और उसके मुद्रण तथा प्रकाशन का स्थान उस समाचारपत्र की प्रत्येक प्रति पर मुद्रित किए जा सकेंगे];

---

[1] 1960 के अधिनियम सं० 26 की धारा 7 द्वारा खण्ड (ख) का (1-10-1960 से) लोप किया गया ।
[2] 1983 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 18 द्वारा (1-7-1956 से) अंत:स्थापित ।
[4] 1960 के अधिनियम सं० 26 की धारा 8 द्वारा (1-10-1960 से) अंत:स्थापित ।

[1][(ख) वह रीति विहित करना, जिससे मजिस्ट्रेट की प्राधिकारिक मुद्रा से अनुप्रमाणित किसी घोषणा की प्रतियां या किसी को अधिप्रमाणित करने से इंकार करने वाले किसी आदेश की प्रतियां घोषणा करने वाले तथा उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को तथा प्रेस रजिस्ट्रार को भेजी जाएं;]

(ग) वह रीति विहित करना, जिसे किसी समाचारपत्र की प्रतियां धारा 11ख के अधीन प्रेस रजिस्ट्रार को भेजी जाएं;

(घ) वह रीति विहित करना, जिससे धारा 19ख के अधीन रजिस्टर रखा जाए तथा उसमें कौन सी विशिष्टियां हों;

(ङ) उन विशिष्टियों को विहित करना, जो प्रेस रजिस्ट्रार को किसी समाचारपत्र के प्रकाशक द्वारा भेजे जाने वाले वार्षिक विवरण में दी जाएं;

(च) वह प्ररूप तथा रीति विहित करना, जिससे धारा 19घ के खंड (क) के अधीन वार्षिक विवरण या धारा 19ङ के अधीन विवरणी, आकंड़े या अन्य जानकारी प्रेस रजिस्ट्रार को भेजी जाए;

(छ) रजिस्टर से उद्धरण की प्रतियां देने के लिए फीस तथा वह रीति विहित करना, जिससे ऐसी प्रतियां दी जाएं ;

(ज) वह रीति विहित करना, जिससे किसी समाचारपत्र की बाबत रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी किया जाए;

(झ) वह प्ररूप विहित करना, जिसमें और वह समय विहित करना, जिसके भीतर प्रेस रजिस्ट्रार द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएं और केन्द्रीय सरकार के भेजी जाएं ।

[2][(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । [3][यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व] दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]]

[4][20ख. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में यह उपबंध हो सकेगा कि उनका उल्लंघन दंडनीय होगा—इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन बनाए गए नियमों में यह उपबन्ध हो सकेगा कि उसका कोई उल्लंघन, जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।]

21. अधिनियम के प्रवर्तन से किसी वर्ग की पुस्तकों को अपवर्जित करने को शक्ति—[5][राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा] किसी वर्ग की पुस्तकों [6][या पत्रों] को इस संपूर्ण अधिनियम या उसके किसी भाग या भागों के प्रवर्तन से, उपवर्जित कर सकेगी:

[7][परन्तु समाचारपत्र के किसी वर्ग की बाबत कोई भी ऐसी अधिसूचना केन्द्रीय सरकार से परामर्श किए बिना जारी नहीं की जाएगी ।]

22. विस्तार—[8][इस अधिनियम का विस्तार [9]*** संपूर्ण भारत पर है ।]

23. [अधिनियम का प्रारम्भ ।]—निरसन अधिनियम, 1870 (1870 का अधिनियम संख्यांक 14) की धारा 1 तथा अनुसूची, भाग 2 द्वारा निरसित ।

———

[1] 1960 के अधिनियम सं० 26 की धारा 8 द्वारा (1-7-1960 से) खण्ड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1960 के अधिनियिम सं० 26 की धारा 8 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर (1-10-1960 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 1983 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर (15 -3-1984 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 1960 के अधनियिम सं० 26 की धारा 9 द्वारा (1-10-1960 से) अंत:स्थापित ।
[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1915 के अधिनियम सं० 11 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 1960 के अधिनियम सं० 26 की धारा 10 द्वारा (1-10-1960 से) अंत:स्थापित ।
[8] 1955 के अधिनियम सं० 55 की धारा 19 द्वारा अंत:स्थापित । 1890 के अधिनियम सं० 10 की धारा 7 द्वारा मूल धारा 22 (1-7-1956 से) निरसित की गई थी ।
[9] 1965 के अधिनियम सं० 16 की धारा 4 द्वारा "जम्मू-कश्मीर के सिवाय" शब्दों का (1-11-1965 से) लोप किया गया ।